# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई प्रथम, आर.ए.एस.

223RTA2024-026(GCMS2024-63)

1. प्रेमसिंह पुत्र सिमरथसिंह, जाति रावणा राजपूत,
   निवासी- ग्राम खींचन, तहसील फलोदी,
   जिला फलोदी।
2. पप्पूसिंह पुत्र पार्वती पत्नी राधाकिशन सिंह
3. रावलसिंह पुत्र पार्वती पत्नी राधाकिशनसिंह
   जातियान् रावणा राजपूत, निवासीगण- पीलवा।
4. सुमेरसिंह पुत्र गेनसिंह
5. रूपसिंह पुत्र गेनसिंह जाति रावणा राजपूत,
   निवासी- खींचन तहसील फलोदी,
   जिला फलोदी।

--- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. बिस्मिल्लाह पत्नी हमीद खॉ जाति मुसलमान,
   निवासी- ग्राम कलरा, तहसील व जिला फलोदी।
2. सुरेश संकलेचा पुत्र पारसमल जी संकलेचा,
   जाति जैन निवासी- 5 शास्त्री नगर,
   जोधपुर।
3. रोशन जैन पुत्र श्री गोतमचन्द जैन जाति जैन,
   निवासी- 112, प्रथम कमला नेहरू नगर,
   जोधपुर।
4. नरेन्द्र डाकलिया पुत्र श्री किशनमल डाकलिया,
   निवासी- सातवी सी रोड़ जोधपुर।
5. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार फलोदी,
   जिला फलोदी।

--- रेस्पोडेण्ट्स

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2024 राजस्व मूल वाद संख्या 48/2022 बिस्मिल्लाह व अन्य बनाम प्रेमसिंह इत्यादि**

—— 0 ——

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

**उपस्थित -**
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या 5

# नि र्ण य

**दिनांक : 29 नवंबर 2024**

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 48/2022 अनवान बिस्मिल्लाह व अन्य बनाम प्रेमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 फरवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 फरवरी 2024 को पेश की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेंट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 183 के तहत एक वाद वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 41 रकबा 38 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 46 रकबा 58 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 48 रकबा 111 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा कानासरिया तहसील फलोदी के संबंध में पेश किया। जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 फरवरी 2024 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद लाने का कोई कानूनी अधिकार नही था न ही कानूनी रुप से वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि ग्राम कानासरिया के खसरा नं. 41 रकबा 38.10 बीघा, खसरा नं. 46 रकबा 58.02 बीघा, खसरा नं.48 रकबा 111 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 208.04 बीघा भूमि अपीलार्थीगण के पिता द्वारा मूल खातेदार उमराव चन्द पुत्र गुलराज, श्रीचन्द पुत्र आसकरण से दिनांक 27 सितम्बर 1966 को मूल्यवान प्रतिफल चुका कर खरीद की जाकर भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया था। अपीलार्थीगण के पिता के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 22 उक्त बेचाननामे के आधार पर स्वीकृत भी हो गया था, किंतु राजस्व अधिकारियों की भूल से जमाबंदी में अपीलार्थीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं हुआ। कानूनन अपीलार्थीगण दिनांक 27 सितम्बर 1966 से आज दिन तक खातेदार काश्तकार है। अपीलार्थीगण की खरीदसुदा भूमि का नामांतरकरण संख्या 22 स्वीकृत होने के उपरांत राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा वर्ष 2018 में न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद से पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया था। इस कारण इसी भूमि बाबत यह वर्तमान पश्चातवर्ती वाद चलने काबिल नहीं था। अपीलांट्स की ओर से दिनांक 25 जलाई 2023 को दोनो वाद पत्रावलियों को समेकित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित ही नहीं किया। अपीलार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता इस विश्वास में रहे कि उक्त प्रार्थना पत्र निस्तारित होने के उपरांत ही जवाबदावा प्रस्तुत करेंगे, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण से मिली भगती कर न्यायिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही एकतरफा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा एक नियमित वाद में वाद विचारण प्रक्रिया अपनाये बिना तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की स्थानांतरण सूची आने के उपरांत येन-केन-प्रकारेण प्रत्यर्थीगण से मिलीभगती कर कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित जारी कर दी गई। अपीलार्थीगण गरीब काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात उनके पिता द्वारा सन् 1966 में खरीद की गई तथा वक्त खरीद से अपीलार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार फलोदी द्वारा तैयार मौका फर्द दिनांक 21 अक्तूबर 2020 से होती है। प्रत्यर्थीगण स्वयं को यह भलीभांति ज्ञात है कि अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा काश्त है। प्रत्यर्थीगण द्वारा गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर भूमि क्रय कर नामांतरकरण संख्या 408 के जरिये अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराया गया है। उक्त नामांतरकरण संख्या 408 की अपील न्यायालय अपर जिला कलक्टर फलोदी के समक्ष विचाराधीन है तथा वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 251/2018 विचाराधीन है तथा दिनांक 10 सितम्बर 2018 को वादग्रस्त आराजियात के संबंध में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश भी पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति एवं साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान किये बिना तथा वादीगण से जिरह का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिविरुद्ध पारित किये गये है। विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था, जिससे यह साबित हो कि अपीलांट्स द्वारा किस प्रकार नाजायज अतिक्रमण किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22 फरवरी 2024 को अपास्त किया जावे एवं मामला विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वादीगण के इस वर्तमान वाद को अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद संख्या 251/2018 के साथ समेकित करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण का जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर उभय पक्ष की साक्ष्य सुनवाई जी जाकर मामले का गुणावगुण पर विधि सम्मत पुनः निस्तारण करे।

जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रत्यर्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के सद्भाविक क्रेता एवं खातेदार काश्तकार है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पो. की खातेदारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया गया है जिसकी ताईद तहसीलदार फलोदी की मौका फर्द से होती है। अपीलांट्स का कथन है कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खरीद की गई, किंतु अपीलांट्स द्वारा वर्ष 1966 से आज दिन तक जमाबंदी में अपना नाम डलवाने की कोई कार्यवाही नहीं की है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद का जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो चुके थे तथा उनको जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुति का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किये जाने का विधिसम्मत आदेश पारित किया हैं। जहां तक अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद का प्रश्न है, वह जरिये साक्ष्य तय होना है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट्स को उनकी खातेदारी भूमि के उपयोग-उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजियात बाबत अपीलाण्ट्स की ओर से 251/2018 प्रेमसिंह व अन्य बनाम श्रीचन्द इत्यादि विचाराधीन रहने के दौरान रेस्पो. बिस्मिल्लाह आदि की ओर से उसी वादग्रस्त आराजियात बाबत एक नया दावा प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा बतौर वाद संख्या 48/2022 बिस्मिल्लाह व अन्य बनाम प्रेमसिंह आदि दिनांक 28 नवम्बर 2022 को संस्थित किया गया। एक ही विषय-वस्तु (वादग्रस्त आराजियात) बाबत दो अलग-अलग वाद प्रस्तुत होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा दोनों वाद समेकित किये जाकर कार्यवाही करने अथवा पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही स्थगित रखी जाकर पहले पूर्ववर्ती वाद का निस्तारण किये जाने के विधिक प्रावधान है, मगर आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा इनके अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी है। दोनों वाद समेकित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स प्रेमसिंह आदि की ओर से प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया, मगर उसके संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा कोई आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित नहीं किया गया और पूर्ववती वाद के विचाराधीन रहते हुए ही पश्चातवर्ती वाद का निस्तारण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये, जो अदालत हाजा की विनम्र राय में निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप एवं विधिसम्मतः नहीं पाये जाते है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 22 फरवरी 2024 अपास्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात बाबत वर्तमान वाद संख्या 48/2022 बिस्मिल्लाह व अन्य बनाम प्रेमसिंह आदि एवं पूर्ववर्ती वाद संख्या 251/2018 प्रेमसिंह व अन्य बनाम श्रीचन्द इत्यादि को समेकित किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर मामले का विधिसम्मतः एवं न्यायोचित निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
जोधपुर